रेल दावा अधिकरण
प्रधान पीठ
13/15, माल रोड, दिल्ली - 54

सं. रे.दा.अधि/दिल्ली/प्रशासनिक नीति/2019 दिनांक 30.04.2021

अपर रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण,
सभी पीठें।

विषय:- कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण रेल दावा अधिकरण के माननीय सदस्यों को विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने के संबंध में स्पष्टीकरण।
संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.04.2021 का पत्र सं. 2021/टीसी(आरसीटी)/1-3 दिनांक 15.04.2021

रेल दावा अधिकरण के एक माननीय सदस्य जो कोविड-19 पोजिटिव पाये गये थे, ने रेलवे बोर्ड के दिनांक 03.09.2020 के परिपत्र सं. ई(जी)2020/एलई/2/1 के अनुसार विशेष आकस्मिक छुट्टी हेतु आवेदन किया था माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से इस मामले को रेलवे बोर्ड को भेजकर यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या 03.09.2020 के पत्र में निहित रेलवे बोर्ड के निर्देश रेल दावा अधिकरण के माननीय सदस्यों के मामलों में भी समकक्ष रूप से लागू होंगे।

रेलवे बोर्ड ने अपने 15.04.2021 के पत्र द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण रेल दावा अधिकरण के सदस्यों को विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.07.2020 के पत्र में निहित निर्देशों का अनुपालन किया जाये। रेलवे बोर्ड के दिनांक 20.02.2021 के पत्र एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 14029/5/2019-स्था.(एल)(भाग-2) की प्रतियां सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं। पीठों से अनुरोध है कि यदि उनकी पीठ में विशेष आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति के लिए कोई मामला लंबित है तो माननीय सदस्य के मामले पर कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.07.2020 के पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार की जाये।

इसे माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह0
(के.पी.सिंह निर्वाल)
सहायक रजिस्ट्रार

संलग्नक/यथोक्त

प्रतिलिपि:-
इससे श्री वेद प्रकाश, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, नागपुर जो कि वर्तमान में माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, मुम्बई हैं, के मामले का निपटारा हो जाता है।